BHADOHI POLICE

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक-04.03.2025

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" विशेष अभियान के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों को जनपदीय पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से कराया जा रहा दंडित

◆ श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा जमीनी विवाद को लेकर आपस में मारपीट के दौरान एक पक्ष द्वारा एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर गंभीर रूप से चोट पहुंचाने व धमकी देने के दोषी कुल-06 अभियुक्तों प्रत्येक को 05 वर्ष सश्रम कारावास व ₹20,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित

◆पंजीकृत क्रॉस अभियोग में दूसरे पक्ष द्वारा लाठी डंडा से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने, गाली गलौज व धमकी देने के दोषी कुल-04 अभियुक्तों प्रत्येक को 03 वर्ष सश्रम कारावास व ₹10,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया

दिनांक 10.09.2015 को थाना ऊंज क्षेत्र अंतर्गत जमीन सम्बन्धित विवाद को लेकर दो पक्षों द्वारा आपस में मारपीट के दौरान एक पक्ष द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर गंभीर रूप से चोट पहुंचाने व धमकी देने की घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-131/2015 धारा- 147, 148, 323/149,324/149,325/149,504 506 भा0द0वि0 व 3(1)10एस.सी/एस.टी एक्ट तथा दूसरे पक्ष द्वारा लाठी डंडा से मारपीट के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने, गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में पंजीकृत क्रॉस अभियोग मु0अ0सं0-131A/2015 धारा- 323/34, 324/34,325/34,504, 506 भा0द0वि0 में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना व अचूक साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" विशेष अभियान के तहत श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को दंडित कराया जा रहा है। पंजीकृत उपरोक्त अभियोगों में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी अनिल शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-04.03.2025 को मा0 न्यायाधीश असद अहमद हाशमी मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी)एक्ट भदोही-ज्ञानपुर द्वारा एक पक्ष के दोषी कुल-06 अभियुक्तों- कुंवर सिंह उर्फ चौबे पुत्र परशुराम सिंह,अमर सिंह पुत्र राम सिंह,मानसिंह पुत्र वंशराज सिंह,पंजाब सिंह पुत्र राम सिंह, अतुल सिंह पुत्र अमर सिंह, संदीप सिंह पुत्र प्रयाग सिंह निवासीगण रोही थाना ऊंज जनपद भदोही प्रत्येक को अंतर्गत धारा- 147,148,323/149,324/149,325/149,504, 506 भा0द0वि0 व 3(1)10एस.सी/एस.टी. एक्ट 05 वर्ष सश्रम कारावास व ₹20,000/- अर्थदंड तथा दूसरे पक्ष के दोषी कुल-04 अभियुक्तों- अगनू प्रसाद पुत्र स्व0 सुखम्भर प्रसाद, राजकिशोर पुत्र अगनू प्रसाद ,प्रमोद कुमार पुत्र मेवालाल,लालू प्रसाद पुत्र अगनू प्रसाद निवासीगण रोही थाना ऊंज जनपद भदोही प्रत्येक को अंतर्गत धारा- 323/34, 324/34,235/34,504, 506 भा0द0वि0 **03 वर्ष सश्रम कारावास व ₹10,000/- अर्थदंड** से दंडित किया गया।